न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 179/2024/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 25.07.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. तेजबाई पुत्री बाबूलाल पत्नि किशनलाल जाति गुर्जर निवासी छाबड़ियो का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

.....अपीलांट

बनाम

1. दुर्गाशंकर पुत्र राजूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नीम का खेड़ा तहसील एवं जिला बून्दी
2. सोनू कुमारी पुत्री राजूलाल पत्नि हरिओम जाति गुर्जर निवासी चम्बल कॉलोनी, मकान नम्बर 2–डी–33, श्योपुर मध्यप्रदेश)
3. गीता बाई पत्नि राजूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नाम का खेड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी
4. पिंकी पुत्री राजूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नीम का खेड़ा तहसील एवं जिला बून्दी
5. गणेश पुत्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम छाबडियो का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. मीना कुमारी पुत्री कन्हैयालाल पत्नि बृजेश कुमार जाति गुर्जर निवासी ग्राम खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा
7. तहसीलदार, हिण्डोली, जिला बून्दी
8. उपपंजीयक, दबलाना जिला बून्दी

.....रेस्पो0

उपस्थित : श्री महेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक –अपीलांट
श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक –रेस्पो0 2, 5 एवं 6

::निर्णय::

दिनांक 02.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी (अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण 36/अपील/2018 बउनवान तेजबाई बनाम दुर्शाशंकर वगै0 मे पारित निर्णय दिनांक

06.06.2024 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर नामांतरकरण संख्या 88 दिनांक 21.01.1983 वाके ग्राम छाबड़ियों का नयागांव पटवार मण्डल छाबडियों का नयागावं को निरस्त किया जाकर खातेदार बाबूलाल (मृतक) के वारिसान की पूर्ण जांच कर नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रश्नगत नामांतरकरण के विरूद्ध 35 वर्ष बाद अपील पेश किये जाने पर विलम्ब के संबंध में कोई ठोस/संतोषप्रद कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम, 1963 में वर्णित नहीं होने से अपील अवधि बाधित होने से निर्णय दिनांक 06.06.2024 से खारिज की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि ग्राम छाबडियो का नया गावं तहसील हिण्डोली जिला बूंदी की कृषि भूमि खसरा संख्या 74, 76, 84, 89, 90, 281, 306, 307, 308 कुल किता 9 कुल रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा जो सहखातेदार बाबूलाल आ. मोडू गुर्जर के नाम थी तथा बाबूलाल का हिस्सा उक्त भूमियो में 1/3 था । बाबूलाल का स्वर्गवास हो गया, जिनके तीन संताने राजूलाल, कन्हैयालाल व अपीलांट तेज बाई है। जिनमें राजूलाल, कन्हैयालाल फौत हो चुके है तथा राजूलाल के वारिसान रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 है और कन्हैयालाल के वारिसान 5 लगायत 6 है। बाबूलाल का स्वर्गवास होने के उपरांत बाबूलाल के विरासत का इंतकाल संख्या 88 खोला गया, जो समस्त वारिसान के स्थान पर केवल मात्र इंतकाल संख्या 88 राजूलाल व कन्हैयालाल का ही नाम दर्ज किया गया। राजस्व कर्मचारियों की अनदेखी के कारण अपीलांट का नाम खातेदार के रूप में अकंन नही किया गया बल्कि सम्पूर्ण भूमि में बाबूलाल का 1/3 हिस्सा था। तीन वारिसान में विभाजन होने के बाद सम्पूर्ण भूमि में अपीलांट का 1/9 हिस्सा है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान की बिना जांच किये इंतकाल तस्दीक कर दिया। राजस्व अधिकारियों से जानकारी होने के बाद हिस्सा दर्ज करने के लिए कहा गया लेकिन नही किया गया। अपीलांट अपने हिस्से के अनुसार काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.06.2024 एवं इंतकाल संख्या 88 दिनांक 21.01.1983 वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट

आयुक्त

स्वर्गीय बाबूलाल जी की पुत्री है और 1/9 हिस्से की खातेदार है लेकिन विरासत का इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा सम्पूर्ण उत्तराधिकारियो के नाम इंतकाल नही खोला गया, यह एक कानूनी भूल की है और अवैधानिक है। जिसकी जानकारी सर्वप्रथम 30.07.2015 को होने पर अपीलांट ने 13.08.2015 को अपील प्रस्तुत कर दी थी लेकिन मात्र देरी होना बताकर अपील को अस्वीकार करने का आदेश देने में कानूनी भूल की है। कानूनन गलत व अवैध कृत्य के लिए कोई मियाद नही है फिर भी इस बात पर गौर करके निर्णय दिया गया है। इंतकाल दिनांक 21.01.1983 को खोला गया तथा अपीलांट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रही। सर्वप्रथम 30.07.2015 को रेस्पो. द्वारा बाबूलाल के वारिसो के स्थान पर राजूलाल व कन्हैयालाल का ही नाम अकंन होने का तथ्य रेस्पो. संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा बताने पर हुयी जिससे अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गयी थी। यह तथ्य भी उल्लखेनीय है कि उक्त प्रकरण में राजूलाल की पुत्री सोनू उपस्थित आयी थी। जिसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अपील स्वीकार कर अपीलांट का नाम बाबूलाल के वारिसो के रूप में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर बाबूलाल के वारिसानो के रूप में अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने की आदेश फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट स्वर्गीय बाबूलाल जी की पुत्री है और 1/9 हिस्से की खातेदार है लेकिन विरासत का इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा सम्पूर्ण उत्तराधिकारियो के नाम इंतकाल नही खोला गया, यह एक कानूनी भूल की है और अवैधानिक है। जिसकी जानकारी सर्वप्रथम 30.07.2015 को होने पर अपीलांट ने 13.08.2015 को अपील प्रस्तुत कर दी थी लेकिन मात्र देरी होना बताकर अपील को अस्वीकार करने का आदेश देने में कानूनी भूल की है। अपीलांट तेजबाई अनपढ़ महिला होने से नामांतरकरण की जानकारी नहीं पाई। कानूनन गलत व अवैध कृत्य के लिए कोई मियाद नही है फिर भी गलत रूप से इंतकाल खोला गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर खातेदार बाबूलाल के वारिसानो के रूप में अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने की आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 2, 5 एवं 6 ने प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु लौटाया जाना जाहिर किया।

6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर नामांतरकरण संख्या 88 दिनांक 21.01.1983 वाके ग्राम छाबड़ियों का नयागांव पटवार मण्डल छाबडियों का नयागावं को निरस्त किया जाकर खातेदार बाबूलाल (मृतक) के वारिसान की पूर्ण जांच कर नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रश्नगत नामांतरकरण के विरूद्ध 35 वर्ष बाद अपील पेश किये जाने पर विलम्ब के संबंध में कोई ठोस/संतोषप्रद कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम, 1963 में वर्णित नहीं होने से अपील अवधि बाधित होने से निर्णय दिनांक 06.06.2024 से खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलाण्ट का तर्क है कि अपीलांट तेजाबाई अनपढ़ महिला होने से नामांतरकरण की जानकारी नहीं हो पायी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गलत रूप से मियाद के आधार पर अपील खारिज की गई।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि रेस्पो0 के द्वारा अपीलांट का पुत्री होने से इंकार नहीं किया गया है। अपीलांट तेजबाई द्वारा मृतक खातेदार बाबूलाल की पुत्री होने से प्रश्नगत आराजी के 1/9 हिस्से पर उसके विधिक वारिसान का नाम दर्ज किये जाने अनुरोध किया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु के आधार पर अपील खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। इस संबंध में निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित हैं :–

RRT 2008(2) Page 1406-1407 :- Rajasthan Land Revenue Act, 1956 –Sec. 84- Limitation Act, 1963-Sec. 5- Condonation of delay- Application u/Sec. 5 allowed & dealy condoned-Order of 28-05-1970/08-06-1970 & mutation dt. 23-12-1970 challenged-Appeal filed after 32 years- Length of period is not material for condonation of delay but sufficient cause is material – Addl. Divisional Commissioner held that substantial question of law & justice involved & decided to adjudicate the appeal on merits-Held, No illegality or jurisdictional error in the order.

RRT 2004(1) Page No. 374 :- Limitation Act, 1963- Sec. 5- Dismissal of appeal on the ground of Limitation without looking in merits-Held, before rejecting application u/Sec. 5- and dismissing appeal as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपीलांट तेजबाई का मृतक खातेदार बाबूलाल की पुत्री होने से बिना गुणावगुण पर विचार किये ही मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ का निर्णय दिनांक 06.06.2024 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर तीन माह में पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

2/7/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. सं. आयुक्त
कोटा